झारखंड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
योजना भवन, नेपाल हाऊस, डोरण्डा, राँची

पत्र सं0– वि0प्रा0नि0–196/06 पार्ट – II/07/बजट /राँची, दिनांक– 21.06.2022

प्रेषक,

के0 के0 खण्डेलवाल,
अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

अवर सचिव–सह–निकासी
एवं व्ययन पदाधिकारी,
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग।

विषयः– **वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022–23 में गैर–सरकारी तकनीकी शिक्षण संस्थान बी0आई0टी0 मेसरा के साथ किये गये MOU के आलोक में DA/ADA का 50% भुगतान करने हेतु सहायक अनुदान के रूप में कुल रू0 7,05,57,030/– (रू0 सात करोड़ पांच लाख संतावन हजार तीस) मात्र की आवंटन की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022–23 में विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0 06/योजना दिनांक 20.06.2022 के आलोक में गैर–सरकारी तकनीकी शिक्षण संस्थान बी0आई0टी0 मेसरा के साथ किये गये MOU के आलोक में DA/ADA का 50% भुगतान करने हेतु सहायक अनुदान के रूप में कुल रू0 7,05,57,030/– (रू0 सात करोड़ पांच लाख संतावन हजार तीस) मात्र की आवंटन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. उक्त व्यय का वहन राज्य स्कीम मुख्य शीर्ष 2203–तकनीकी शिक्षा–लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना–उप शीर्ष–A5–गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों को सहायक अनुदान–विस्तृत शीर्ष–06–अनुदान के सहायता अनुदान सामान्य ईकाई के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022–23 में उपबंधित राशि रू0 7,80,00,000/–(रू0 सात करोड़ अस्सी लाख) मात्र में से विकलनीय होगा।
(विपत्र कोड–43S220300796A5010679)

3. स्वीकृत राशि का दूसरे मदों में अपवर्तन या विचलन कदापि नहीं किया जाये। यह निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की व्यक्तिगत जवाबदेही होगी।

4. यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक 245/बजट दिनांक 30.03.2022 एवं अन्य सुसंगत परिपत्रों के आलोक में प्रदान की जा रही है, अतएव राशि की निकासी एवं व्ययन के पूर्व वित्त विभाग के उपर्युक्त परिपत्रों में दिए गए निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित करने की आपकी जबाब देही होगी।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह आश्वस्त होने के उपरान्त ही उक्त राशि की निकासी करेगें कि इस कार्य के लिये अन्य स्त्रोतों से राशि नही प्राप्त किया गया है।

6. अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग राशि की निकासी कर बैंक एकाउन्ट में अन्तरण के माध्यम से कुलपति, बी0आई0टी0 मेसरा, राँची को उपलब्ध करायेगें।

7. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी आवंटनादेश निर्गत होने के पश्चात् ही राशि की निकासी एवं व्ययन करने के क्रम में विपत्र पत्र पर तदनुसार उपर्युक्त कंडिका 2 एवं 3 के बजट शीर्ष विपत्र पर अंकित करेगें।

8. राशि की निकासी एवं व्ययन वित्त विभाग के परिपत्र सं0–2561 दिनांक– 17/04/98 के आलोक में की जाएगी राशि की निकासी एवं व्ययन के पूर्व वित्त विभाग के उपर्युक्त पत्र में निहितदिशा–निर्देश एवं समय–समय पर निर्गत अन्य सुसंगत परिपत्रों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
9. राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची से की जायगी।
10. झारखंड कोषागार संहिता के नियम 174 का पालन सख्ती से किया जाएगा।
11. स्वीकृति राशि के अंकेक्षण का अधिकार, महालेखाकार, झारखण्ड एवं वित्त विभाग (अंकेक्षण) का होगा।
12. व्यय विवरणी, टी0भी0नं0 सहित संकलित एवं संधारित कर महालेखाकार कार्यालय जाकर लेखाओं का सत्यापन/मिलान त्रैमासिकी सुनिश्चित करेंगे।

विश्वासभाजन,

Kailash 21/6/22

(के0 के0 खण्डेलवाल)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक–वि0प्रा0नि0–196/06 पार्ट – II /07/बजट /राँची, दिनांक– 21.06.2022

प्रतिलिपि– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Kailash 21/6/22

अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक–वि0प्रा0नि0–196/06 पार्ट –II/07/बजट /राँची, दिनांक– 21.06.2022

प्रतिलिपि– महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड,/कुलपति, बी0आई0टी0 मेसरा, राँची/आंतरिक वित्तीय सलाहकार/निदेशक, तकनीकी शिक्षा/बजट पदाधिकारी/लेखा शाखा/प्रभारी निर्गत शाखा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची को एक अतिरिक्त प्रति गार्ड फाईल में रखने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Kailash 21/6/22

(रवीन्द्र प्र0 बर्णवाल)
सहायक प्रशाखा पदाधिकारी

(अजय कुमार सिंह)
अवर सचिव

(अभय कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव

अपर मुख्य सचिव